पत्रांकः— 14/स 1—012/1998..

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक......./......./2020

विषयः— गिरिधरन मिश्रा हरिशंकर पाठक कॉलेज, बगहा, पश्चिम चम्पारण को स्नातक कला, संकाय के गृह विज्ञान एवं समाज शास्त्र विषयों में पास एवं प्रतिष्ठा स्तरों में सत्र 2020—2021 के लिए अस्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके विश्वविद्यालय के पत्रांक—B/710 दिनांक 27.05.2020 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा—21 (2) (d) के अधीन एवं राज्यपाल सचिवालय से निर्गत परिनियम संख्या—1098 दिनांक 19.04.1986, पत्रांक 3196 दिनांक—14.12.2017 एवं पत्रांक—3074 दिनांक—25.10.2019 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने गिरिधरन मिश्रा हरिशंकर पाठक कॉलेज, बगहा, पश्चिम चम्पारण को स्नातक कला संकाय के गृह विज्ञान एवं समाज शास्त्र विषयों में पास एवं प्रतिष्ठा स्तरों में राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत परिनियम में निर्दिष्ट माप दण्ड के अनुरूप सुरक्षा मद में जमा राशि एवं विषयवार पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के निदेश के साथ सत्र 2020—2021 के लिए अस्थायी संबंधन प्रदान करने की सहमति प्रदान की है।

यह आदेश विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिए गए परामर्श के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। साथ ही एल0पी0ए0 संख्या—1404/2018 में विभाग द्वारा माननीय न्यायालय में दायर M.J.C के फलाफल से उक्त आदेश प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन

ह0/—

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक— 14/स 1—012/1998..—908 पटना, दिनांक 31/08/2020

प्रतिलिपिः— माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/उप सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा/सचिव, गिरिधरन मिश्रा हरिशंकर पाठक कॉलेज, बगहा, पश्चिम चम्पारण एवं आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/8/2020

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव